1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1343 / 2011

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1343 / 2011 संस्थापित दिनांक 28 / 11 / 2011

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र– गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

- ALLAND TO STAND A अशोक पुत्र जगदीश जाटव उम्र 33 साल मोहरसिंह पुत्र पातीराम जाटव उम्र 45 वर्ष
 - मंगीलाल पुत्र वेदीराम जाटव उम्र 75 वर्ष
 - मुकटसिंह पुत्र फूलसिंह जाटव उम्र 36 वर्ष
 - बलवन्त पुत्र तहरी जाटव उम्र 98 वर्ष
 - बाबूराम पुत्र तहरी जाटव उम्र 80 वर्ष
 - राजेन्द्र सिंह पुत्र किलेदार सिंह उम्र 42 वर्ष 7.
 - मोहकम सिंह पुत्र टीकाराम उम्र 45 वर्ष 8.
 - वीरसिंह पुत्र छोटेलाल उम्र 45 वर्ष 9.
 - रानाजीत पुत्र नाहर सिंह गुर्जर उम्र 60 वर्ष 10. निवासी खटीक मौहल्ला गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(अपराध अंतर्गत धारा-447 एवं 427 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ–श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री दाताराम बंसल।)

- निर्णय –∷ (आज दिनांक 17 / 11 / 17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 08.03.11 के पूर्व मौजा सड ग्राम कठोरे के पुरा में श्रीरामजानकी मंदिर ग्राम भगवासा से लगी हुई भूमि सर्वे क0 182 रकवा 0.68 एवं सर्वे क0 183 रकवा 0.25 में फरियादी उदय सिंह को अभित्रस्त अपमानित एवं क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश कर एवं बने रहकर आपराधिक अभित्रास कारित करने तथा उसी समय फरियादी उदयसिंह को सदोष हानि कारित करने के आशय से सर्वे क0 182 रकवा 0.68 एवं सर्वे क0 183 रकवा 0.25 की फसल को काटकर फसल का नुकसान कर रिष्टी कारित करने हेतु भा0द0सं० की धारा ४४७ एवं ४२७ के अंतर्गत आरोप है।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश दिनांक 08.03.11 के द्वारा मंदिर से लगी भूमि फरियादी उदय सिंह पटवारी को सुपुर्दगी पर दी गई थी। दिनांक 09.03.11 को करीबन 11:00 बजे फरियादी उदय सिंह ग्राम कठोरे के पुरा में मौके पर पहुंचा था तथा रामजानकी मंदिर से लगी भूमि के सर्वे नंबरों की जांच की थी। जांच में पाया था कि सर्वे क0 182 रकवा 0.68 एवं सर्वे क0 183 रकवा 0.25 की फसल सुपुर्द करने से पूर्व ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा काट ली गई थी जो खेत में पड़ी हुई थी। फसल का नुकसान हो गया था। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप0क0 44/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.03.11 के पूर्व मौजा सड़ ग्राम कठोरे के पुरा में श्रीरामजानकी मंदिर गाम भगवास से लगी भूमि सर्वे क0 182 रकवा 0.68, सर्वे क0 183 रकवा 0.25 में फरियादी उदय सिंह को अभित्रस्त अपमानित एवं क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सदोष हानि कारित करने के आशय से सर्वे क0 182 रकवा 0.68, सर्वे क0 183 रकवा 0.25 की फसल को काटकर फसल का नुकसान कर रिष्टी कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से पुजारी श्यामदास अ०सा01, ए०एस0 आई0 के०डी० खेमरिया अ०सा02, भूरेसिंह अ०सा03 एवं ए०एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ०सा04 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में श्यामदास अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानता है घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग साढे पांच वर्ष पूर्व की है। आरोपी राणाजीत, मोहरसिंह, श्रीराम, अशोक, बलवंत, मुकुटसिंह, जसवंत सिंह, वीरसिंह, माहसिंह, मांगीलाल, बाबूराम, मोहकम सिंह एवं राजेन्द्र सिंह ने कढोरे के पुरा के सड़ मौजे के रामजानकी मंदिर की सरसों की फसल काट ली थी जिसकी रिपोर्ट पटवारी ने की थी जिसे तहसीलदार साहब ने भेजा था। प्रतिपरीक्षण के पद क० 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह विवादित जमीन

का सर्वे नंबर नहीं जानता है सरसों की फसल आरोपीगण ने उसके सामने काटी थी जिस समय सरसों की फसल आरोपीगण काट रहे थे उस समय वह और पटवारी मौजूद थे और कौन—कौन था वह नहीं बता सकता है। अतिक्रमणधारी विवादित जमीन को काफी समय से जोत रहे थे वह पटवारी के साथ गया था।

- 8. साक्षी भूरेसिंह अ०सा०३ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी मांगीलाल, अशोक और रणवीर को जानता है अन्य लोगों को नहीं जानता है। रामजानकी मंदिर की जमीन की खेती को आरोपीगण काट लेते हैं उसे नहीं मालूम कि किसने क्या किया। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण मंदिर की जमीन पर से खेती काट लेते हैं जिससे मंदिर को नुकसान होता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.03.11 को मंदिर की जमीन से सरसों की फसल काट ली थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने मिलकर फसल को काटा था। प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि फसल किसने बोई थी उसे नहीं पता। फसल आरोपीगण ने उसके सामने नहीं काटी थी उसने तो सुना था वही बताया है।
- 9. ए० एस० आई० तहसीलदार सिंह अ०सा०४ ने अपने कथन में आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०५ लगायत १५ एवं प्र०पी०१६ लगायत १८ तैयार करना एवं उक्त पंचनामों पर क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ए० एस० आई० के०डी० खेमरिया अ०सा०२ ने प्र०पी०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 11. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी पटवारी उदयसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका है।
- 12. साक्षी श्यामदास अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा रामजानकी मंदिर की सरसों की फसल काट लेना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सरसों की फसल आरोपीगण ने उसके सामने काटी थी जिस समय आरोपीगण फसल काट रहे थे उस समय वह और पटवारी मौजूद थे परंतु प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लिखित नहीं है कि आरोपीगण ने पटवारी उदयसिंह के सामने सरसों की फसल काटी थी। प्र0पी01 के आवेदन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फसल काटने का उल्लेख है प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि स्वयं पटवारी उदयसिंह ने आरोपीगण को फसल काटते हुए देखा था। यदि वास्तव में पटवारी उदयसिंह एवं साक्षी श्यामदास ने आरोपीगण को फसल काटते हुए देखा होता तो इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता तथा आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई होती परंतु प्रकरण में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी श्यामदास अ0सा01 के कथन प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं। ऐसी

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 1343/2011

स्थिति में साक्षी श्यामदास का यह कथन कि उसने आरोपीगण को फसल काटते हुए देखा था विश्वासयोग्य नहीं है।

- 13. शेष साक्षी भूरेसिंह अ०सा०3 द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी मांगीलाल अशोक एवं रणवीर को जानता है तथा शेष आरोपीगण को नहीं जानता है एवं यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण रामजानकी मंदिर की जमीन को काट लेते हैं परंतु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि किसने क्या किया था उसे मालूम नहीं है उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2011 में मंदिर की जमीन की सरसों की फसल आरोपीगण ने काट ली थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 में उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि फसल आरोपीगण ने उसके सामने नहीं काटी थी उसने तो सुना था वही बताया है। इस प्रकार साक्षी भूरेसिंह अ०सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विराधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने फसल नहीं काटी थी। भूरेसिंह अ०सा03 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने आरोपीगण को फसल काटते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा सुनी सुनाई बात बताई गई है। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसे उक्त बात किस व्यक्ति द्वारा बताई गई थी। ऐसी स्थित में साक्षी भूरेसिंह अ०सा03 के कथनों से भी आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 14. ए०एस०आई० तहसीलदार सिंह अ०सा०४ एवं ए०एस०आई० के०डी० खेमरिया अ०सा०२ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 15. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी पटवारी उदयसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परिक्षित नहीं कराया जा सका है शेष साक्षी श्यामदास अ0सा01 एवं भूरेसिंह अ0सा03 के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। साक्षी के0 डी0 खेमरिया अ0सा02 एवं तहसीलदार सिंह अ0सा04 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परिक्षित नहीं कराया जा सकता है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हों कि आरोपीगण ने श्री रामजानकी मंदिर ग्राम भगवास से लगी हुई भूमि सर्वे क0 182 एवं 183 में आपराधिक अभित्रास कारित किया था तथा उक्त भूमि की फसल काटकर फसल का नुकसान कर रिष्टी कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 16. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- 17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाण्ति करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 08.03.11 के पूर्व मौजा सड ग्राम कठोरे के पुरा में श्रीरामजानकी मंदिर ग्राम भगवासा से लगी हुई

भूमि सर्वे क0 182 रकवा 0.68 एवं सर्वे क0 183 रकवा 0.25 में फरियादी उदय सिंह को अभित्रस्त अपमानित एवं क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश कर एवं बने रहकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उसी समय फरियादी उदयसिंह को सदोष हानि कारित करने के आशय से सर्वे क0 182 रकवा 0.68 एवं सर्वे क0 183 रकवा 0.25 की फसल को काटकर फसल का नुकसान कर रिष्टी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुये आरोपी वीरसिंह, राजेन्द्रसिंह, बाबूराम, रानाजीत, मोहरसिंह, अशोक, मांगीलाल, बलवन्त, मोहकम सिंह, एवं मुकुटसिंह को भा0द0सं0 की धारा 447 एवं 427 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

18. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद दिनांक – 17–11–2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / —
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
१ श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
१०प्र०) गोहद जिला भिण्ड(भ०प्र०)